न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 22 / 2021 (उदयपुर डिक्री)

रामचन्द्र पिता नारायणलाल जी जो ी, निवासी कुम्भा मगरी अम्बेरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....अपीलान्ट

बनाम

1. नारायणलाल पिता खेमराज जी जो ी, निवासी कुम्भा मगरी अम्बेरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. सोहनलाल पिता नारायणलाल जी जो ी, निवासी कुम्भा मगरी अम्बेरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. दुर्गे ा पिता नारायणलाल जी जो ी, निवासी कुम्भा मगरी अम्बेरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. रो ान पिता नारायणलाल जी जो ी, निवासी कुम्भा मगरी अम्बेरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. भगवतीलाल पिता नारायणलाल जी जो ी, निवासी कुम्भा मगरी अम्बेरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. प्रवीण पिता कमल लाल डांगी, निवासी 897, ने ानल हाईवे–8, हनुमान मन्दिर के पास, पुलां, उदयपुर (राज.)
7. कि ानलाल पिता नारायणलाल जी डांगी, निवासी मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
8. कमले ा पिता सोहनलाल जी जो ी, निवासी कुम्भा मगरी अम्बेरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
9. राजे ा पिता सोहनलाल जी जो ी, निवासी कुम्भा मगरी अम्बेरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
10. संजय पिता रामचन्द्र जी जो ी, निवासी कुम्भा मगरी अम्बेरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:43 IST
Reason: SelfAttested

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बड़गांव
दिनांक 15.03.2021 प्र.सं. 3/2020

---/---

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री अरूण व्यास अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री दुर्गासिंह भाक्तावत अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3– ओमप्रका ा डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6
4– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 11

---/---

निर्णय दिनांक 14–12–2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा अम्बेरी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 8 से 10 की पु तैनी वाद पत्र की कलम संख्या 1 की आराजियात स्थित होकर उसमें अंकित हिस्सेनुसार पक्षकारान का हिस्सा है। उक्त भूमियों बाबत् पूर्व में वादी द्वारा मुकदमा नंबर 49/2007 प्रस्तुत किया गया था, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बंटवारे का भरोसा दिये जाने के कारण वाद विड्रो कर लिया। प्रतिवादी संख्या 1 बिना बंटवारा कराये भूमियां विक्रय करने पर आमादा है तथा कुछ भूमियों का विक्रय भी कर दिया गया है। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजियात में से सहमति से विक्रय की गयी भूमि जिसका उल्लेख वाद पत्र की कलम संख्या 6 में किया गया है, के अलावा भोश बची भूमि में 1/6 हिस्सा अर्थात 0.4420 हैक्टर का वादी को खातेदार घोशित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से आदे ा 7 नियम 11 एवं आदे ा 21 नियम 3 ए सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा उक्त उनवान संबंधित वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसके प्रकरण संख्या 49/2007 होकर उक्त वाद दिनांक 02–01–2012 को वाद विड्री कर लिया, जिसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की चाराजोही वादी द्वारा आज दिन तक नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में पुनः उन्हीं आराजियात बाबत् वादी को किसी प्रकार की राहत आप

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा नहीं दी जा सकती। अतः वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जावे।

उक्त आवेदन आदे ा 7 नियम 11 एवं आदे ा 21 नियम 3 ए सपठित धारा 151 जा.दी. का जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 15–03–2021 से प्रतिवादी संख्या 1 का आवेदन अन्तर्गत आदे ा 7 नियम 11 एवं आदे ा 21 नियम 3 ए सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार कर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री दुर्गासिंह भाक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से वकील श्री ओमप्रका ा डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। भोश रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को समझने में भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय का यह विवेचन कि बिना पूर्वानुमति नया वाद प्रस्तुत नहीं हो सकता है, जो सर्वथा गलत है, क्योंकि विभाजन की मांग एक सतत यानि कन्टीन्यूअस वाद हेतुक प्रदान करता है। पूर्व वाद निरस्त अथवा विड्रो करने के बावजूद नया वाद हेतुक पर प्रस्तुत हो सकता है। अपीलान्ट को अपने हिस्से से महरूम किये जाने के कारण नया वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है। वाद हेतुक सही है अथवा गलत उसे जवाबदावा लेकर एवं तनकियात कायम कर साक्ष्यों के आधार पर ही तय किया जा सकता है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई गौर नहीं किया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा प्रतिवादीगण का जवाबदावा लेकर तनकियात कायम कर साक्ष्य लेखबद्ध कर गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेशित किया जावे।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने निवेदन किया कि वादी द्वारा अपना वाद विड्रो कर लिये जाने के बाद पुनः उन्हीं आराजियात बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नया वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:43 IST
Reason: SelfAttested

हमारा आदे ा 7 नियम 11 एवं आदे ा 21 नियम 3 ए सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन कर प्रस्तुत न्यायिक नजीरों पर मनन किया। स्वयं अपीलान्ट/वादी के कथनानुसार उनके द्वारा पूर्व में इन्हीं आराजियात बाबत् बंटवारा घोशणा एवं निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसके प्रकरण संख्या 49/2007 होकर उक्त वाद उसके द्वारा विड्रो कर लिया गया था। ऐसी स्थिति में पुनः उन्हीं आराजियात बाबत् वादी/अपीलान्ट द्वारा जो नया वाद संख्या 3/2020 प्रस्तुत किया गया है, उसमें अधिनस्थ न्यायालय ने कोई नया वाद हेतुक उत्पन्न होना नहीं मानकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज कर दिया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं, किन्तु अपीलान्ट चाहे तो अधिनस्थ न्यायालय में अपने द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये वाद में विधि सम्मत तरीके से अपनी उजरदारी पे ा कर सकता है। परन्तु इस न्यायालय द्वारा उसे प्र नगत अपील में किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती। तद्नुसार हम अपील सारहीन होने से खारिज किया जााना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–03–2021 यथावत रखी जाती है। अपीलान्ट चाहे तो अपने पूर्व में विड्रो किये गये वाद संख्या 49/2007 को पुनः चला सकता है, इसके लिए वह स्वतंत्र है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14–12–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:43 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आई.ए.एस.** .....

रामचन्द्र पिता नारायणलाल जो ी, निवासी बनाम **नारायणलाल पिता खेमराज जी जो ी,**
कुम्भा मगरी अम्बेरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर — **नि0 कुम्भा मगरी अम्बेरी, तह0 बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**22 / 2021**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **बड़गांव** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**15**.....माह.....**03**.....**2021**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**14**.....माह.....**12**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री अरूण व्यास**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री दुर्गासिंह भाक्तावत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–03–2021 यथावत रखी जाती है। अपीलान्ट चाहे तो अपने पूर्व में विड्रो किये गये वाद को पुनः चला सकता है, इसके लिए वह स्वतंत्र है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**14**.....माह.....**12**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2022.01.03 12:08:43 IST
Reason: SelfAttested